

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

आदेश

बिहार राज्य लोक अभिलेख अधिनियम-2014 और बिहार लोक अभिलेख नियमावली, 2015 के प्रावधानों के आलोक में श्री सिंधु नाथ झा, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-31, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को पथ निर्माण विभाग का अभिलेख अधिकारी तथा अभिलेखागार का नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव)
अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक :-1/विविध-15/2023

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- श्री वैद्यनाथ शर्मा, अवर सचिव, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ श्री सिंधु नाथ झा, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-31, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक :-1/विविध-15/2023

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- निदेशक, बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय (मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग), पटना के पत्रांक-193 दिनांक 17.08.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक :- 1/विविध-15/2023

2180

पटना, दिनांक.....11.3.25

प्रतिलिपि :- माननीय पथ निर्माण मंत्री, के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग के आप्त प्रधान सचिव/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्र०को०)